अस्थिर नींव पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक -सिद्धार्थ सोनकर, सयान भट्टाचार्य (छात्र, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज)

26 दिसंबर, 2018

"आईटी अधिनियम की धारा 69 देश को असंगत कार्रवाई की अनुमति देता है और इसलिए यह गोपनीयता के अधिकार के लिए विरोधाभासी प्रतीत होता है।"

केंद्रीय गृह सचिव ने पिछले हफ्ते 10 केंद्रीय एजेंसियों को निगरानी, अवरोधन और डिक्रिप्ट जानकारी जो किसी भी कंप्यूटर द्वारा प्रसारित, उत्पन्न, संग्रहीत या प्राप्त की है, को अधिकृत करने वाला एक आदेश दिया है। इस आदेश के तहत, एक व्यक्ति जो इन सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सहायता देने या सभी सुविधाओं का विस्तार करने में विफल रहता है, तो उसे सात साल तक के कारावास या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 में निर्धारित शक्तियों के अनुसरण में अधिसूचना जारी की गई थी, जो सरकारी एजेंसियों को कुछ शर्तों के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को बाधित करने में सक्षम बनाती है। मंत्रालय ने विपक्ष के विरोध के जवाब में एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि प्राधिकरण आईटी नियमों, 2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है।

क्या छूट गया

स्पष्टीकरण आईटी अधिनियम की धारा 69 की वैधता को मानता है, जिसके आधार पर आईटी नियम बनाए गए थे। आईटी नियम गृह मंत्रालय (एमएचए) अधिसूचना के पीछे शक्ति का स्रोत होते हैं। इस धारणा के आधार पर, स्पष्टीकरण अपने स्रोत की वैधता की जांच के बिना अधिसूचना को सही ठहराता है। एमएचए स्पष्ट करता है कि आईटी नियमों के अनुरूप होने के कारण, इस पर चिंता व्यक्त करना कहीं से भी उचित नहीं है।

हालांकि, यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि यह आईटी अधिनियम की धारा 69 का अवलोकन करने में असफल रहा है, जिसे हम के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (निजता के अधिकार का मामला, 2017) मामले में देख सकते हैं और इस आधार पर यह संवैधानिकता के लिटमस परीक्षण में फिर असफल होते प्रतीत होता है। आइए जानते है कैसे?

के.एस. पुट्टास्वामी के बाद धारा 69 असंवैधानिक क्यों हो गया? नौ-न्यायाधीशों की बेंच में के.एस. पुट्टास्वामी ने घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद-19 और अनुच्छेद-21 के अनुसार निजता मौलिक अधिकार है। धारा 69 के द्वारा एक कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा को लेने जैसे प्रतिबन्ध को संवैधानिक रूप से सही होने के लिए इसका सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा (उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा) और साथ ही इसे इससे संगत भी होना होगा जिससे कि लक्ष्य और उसके लिए अपनाये गये तरीके के बीच सही संबंध स्थापित हो सके। आईटी अधिनियम की धारा 69 में व्यापक रूप से कहा गया है कि यह सामूहिक निगरानी को अपेक्षाकृत कम गंभीर उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है जैसे कि संज्ञेय अपराध को रोकने में। इस तरह की निगरानी को सरकार की नीति के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने वाले फेसबुक पोस्ट जैसे अपेक्षाकृत कम गंभीर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित ठहराया जा सकता है, जो देश के संदर्भ में अक्रामक है। देश, धारा 69 के शक्तियों के माध्यम से, निगरानी को अधिकृत कर सकता है, इससे गंभीर चिंता का विषय बना सकता है।

मुक्त भाषण के लिए निहितार्थ

धारा 69 के तहत, सरकार निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सकती है: पहला, जब यह भारतीय संप्रभुता या अखंडता के हित में आवश्यक हो; दूसरा, राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में; तीसरा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में; चौथा, सार्वजनिक व्यवस्था के संदर्भ में; और पांचवां, इनसे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को भड़काने से रोकने के संदर्भ में। हांलाकि, दिए गये पहले चार विकल्पों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) से संबंधित है, लेकिन पांचवें, अर्थात् संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए, पर कोई विशेष सीमित प्रतिबंध नहीं है। अधिकृत निगरानी के रूप में प्रतिबंध तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बीच एक पदानुक्रम को स्वीकार किया है; यह संकेंद्रित वृत्तों के माध्यम से इसकी व्याख्या करता है कि जहां कानून और व्यवस्था बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके भीतर अगला चक्र, सार्वजनिक व्यवस्था शामिल होता है, जिसमें राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे छोटा चक्र होता है, जो सबसे गंभीर चिंता का विषय है। जबकि सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक शांति द्वारा चिन्हित होती है और कानून और व्यवस्था के लिए अपराध को रोकने की आवश्यकता होती है।

हालांकि, धारा 69, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, तब भी बड़े पैमाने पर निगरानी की अनुमति देता है, जब केवल कानून और व्यवस्था प्रभावित हो और सार्वजनिक व्यवस्था प्रबल हो, वो भी अपराध को रोकने के लिए।

आदेश में सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को एकतरफा अधिकार दिया गया है। इनमें न केवल घरेलू सुरक्षा के लिए उत्तरदायी खुफिया एजेंसियां बल्कि विदेशों पर केंद्रित ऐसी एजेंसियां भी शामिल हैं जिनका भारतीय नागरिकों पर निगरानी से कोई

लेनादेना नहीं है। रिसर्च ऐंड एनालिसिस विंग (रॉ) ऐसी ही एक संस्था है। दिल्ली पुलिस और विभिन्न कर एजेंसियों को भी निगरानी के भरपूर अधिकार सौंपे गए हैं। यह ठीक नहीं है।

जन सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन कायम करने वाली किसी भी सुव्यवस्थित निगरानी व्यवस्था में नागरिकों की जासूसी का अधिकार पूरी तरह किसी एजेंसी के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। इसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें वजह बताई जानी चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। निजता के अतिक्रमण के ऐसे मामले में एक मजिस्ट्रेट की अग्रिम मंजूरी आवश्यक होनी चाहिए जो हर मामले की वजह को रिकॉर्ड करे।

एक और असंगति

संभव है मौजूदा व्यवस्था में सरकार के पास क्षमता का अभाव हो। अदालतों ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निगरानी के मामलों में गृह सचिव को उत्तरदायी ठहराया है और सन 1996 में एक निगरानी समिति भी गठित की गई थी। तब से अब तक डिजिटल निगरानी के अवसर बहुत बढ़ गए हैं। परंतु क्षमता की कमी से निपटने का एकमात्र तरीका उपलब्ध क्षमता में इजाफा करना ही है न कि तय प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना।

यह एकदम उचित अवसर है जब देश के खुफिया तंत्र में सुधार किया जा सकता है और उसे मजबूत वैधानिक और संवैधानिक आधार प्रदान किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के आदेश में जिन एजेंसियों का नाम है उनमें से कई का कोई कानूनी आधार तक नहीं है। वे ब्रिटिश राज से विरासत में चली आ रही हैं। तमाम अन्य उदार लोकतांत्रिक देशों की तरह उन पर कोई संसदीय निगरानी भी नहीं है। उनके कदमों पर कोई न्यायिक नियंत्रण नहीं है न ही वे कानूनी मंजूरी लेती हैं।

यह मानना असंभव है कि काम के बोझ तले दबे चुनिंदा नौकरशाह निगरानी के लिए आवश्यक जवाबदेही सुनिश्चित कर सकेंगे। कार्यपालिका के ऐसे अधिकारी प्रायः किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार की परवाह नहीं करते। इसमें दो राय नहीं कि इस आदेश को अदालतों में चुनौती दी जाएगी। सरकार के लिए यह बताने का अच्छा अवसर है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक, प्रभावी और जवाबदेह ढांचा कैसे बनाएगी।

GS World टीम...

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-69

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में गृह मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर संसाधनों में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को अवरुद्ध करने, निगरानी करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत सरकार किसी भी एजेंसी से डेटा की निगरानी करने के लिए कह सकती है।

क्या है?

- इसके मुताबिक अगर केंद्र सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा, अखंडता, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाये रखने या अपराध रोकने के लिए किसी डेटा की जरूरत है तो वह संबंधित एजेंसी को इसके निर्देश दे सकती है।
- आईटी एक्ट वर्ष 2000 में बना। इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता या संप्रभुता के लिए सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के कम्प्यूटर की निगरानी कर सकती है।
- हालांकि, निगरानी करने के लिए किन एजेंसियों को अधिकार दिया जाएगा, ये सरकार ही तय करती है। किसी भी कम्प्यूटर या इंटरनेट कम्युनिकेशन की निगरानी करना डेटा इंटरसेप्शन कहलाता है।

क्या सिर्फ कम्प्यूटर की निगरानी होगी?

- आदेश में सरकार ने सिर्फ कम्प्यूटर की निगरानी की बात कही है, लेकिन इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप से लेकर मोबाइल और सारे डिजिटल डिवाइस आ जाते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने संसद में कम्प्यूटर की परिभाषा बताते हुए कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या अन्य हाईस्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस जो लॉजिकल, अर्थमैटिक या मेमोरी संबंधी काम करती है, उसे कम्प्यूटर कहा जाता है।

सरकार हमारा डेटा किन रूपों में हमसे मांग सकती है?

- इस आदेश के अनुसार, सरकार तीन काम कर सकती है। पहला- इंटरसेप्ट या टैप।
- दूसरा- हमारे डेटा की मॉनिटरिंग और तीसरा- हमारे मैसेज या सूचनाओं को डिक्रिप्ट करना।

इस आदेश से निजता किस तरह से खतरे में है?

- हम रोज जितना भी डेटा इस्तेमाल करते हैं, उतना डेटा यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि आपका व्यवहार, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी पसंद-नापसंद क्या है, आप किसके समर्थक और किसके विरोधी हैं? कुल मिलाकर आपके डेटा से प्रोफाइलिंग की जा सकती है।
- दरअसल, छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को विभिन्न माध्यमों से लेकर एक 'मेटा डेटा बनाया जा सकता है, जो किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइलिंग के लिए पर्याप्त है। इस प्रोफाइलिंग के जरिए, सरकार हर वो चीज कर सकती है, जिसे वो करना चाहती है। यह ठीक उसी तरह होता है, जिस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लोगों की प्रोफाइलिंग की थी।

विरोध क्यों?

- सरकार का ये आदेश आईटी एक्ट की धारा-69 (1) पर आधारित है, लेकिन अगस्त, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में फैसला देते हुए निजता को मौलिक अधिकार बताया था। सरकार का आदेश न सिर्फ निजता के मौलिक अधिकार पर खतरा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी है।
- सरकार का आदेश आईटी एक्ट की धारा-69 (1) का उल्लंघन भी है। क्योंकि यह धारा सरकार को आम जनता की निगरानी के लिए असीमित शक्ति नहीं देती।
- यह सिर्फ जनता के हित या राष्ट्र की संप्रभुता या अखंडता को बनाए रखने के लिए कम्प्यूटर की निगरानी कर सकती है। लेकिन सरकार ने अपने आदेश में कहीं भी साफ नहीं किया है कि वो कम्प्यूटर की निगरानी क्यों और कब करेगी?

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. आईटी अधिनियम, 2000 की धारा-69 सरकार को नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी (निजता) को बाधित करने में सक्षम बनाती है।

   2. आईटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के पारित होने के बाद लाया गया।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: वर्तमान सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा-69 के तहत व्यक्ति के निजता एवं स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करना कहाँ तक उचित है? परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

नोट : 25 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

GS World
Committed To Excellence